प्रकरण संख्या : 55/2024
सोहन लाल बनाम राज. सरकार
निर्णय दिनांक : 03.03.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	55/2024
दायर दिनांक	:	02.08.2024
निर्णय दिनांक	:	03.03.2025

1. सोहन लाल पुत्र छीतरमल जाति महावर, निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. तहसीलदार दौसा जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोडापट्टी तहसील दौसा स्थित भूमि खसरा नम्बर 126 रकबा 0.76 है. स्थित है, जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम हिस्सा 1/3 व प्रार्थी के भाई नाथू का हिस्सा 1/3 व मांगीलाल का हिस्सा 1/3 दर्ज है। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम सोहन लाल पुत्र छीतरमल है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सोहन लाल के स्थान पर सोमपाल गलत एवं अशुद्ध अंकन कर दिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सोमपाल के स्थान पर सोहन लाल अंकित करते हुए इसी कदर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा जिला दौसा

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि सोहनलाल पुत्र छीतर मल जाति महावर व सोमपाल पुत्र छीतर जाति महावर नाम से एक ही व्यक्ति है। अतः सोमपाल पुत्र छीतर मल के स्थान पर सोहनलाल पुत्र छीतर मल जाति महावर किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:39:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम सोमपाल के स्थान पर सोहन लाल अंकित करवाना चाहता है। तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में सोमपाल पुत्र छीतर मल के स्थान पर सोहनलाल पुत्र छीतर मल जाति महावर किया जाना उचित बताया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

प्रकरण संख्या : 55/2024
सोहन लाल बनाम राज० सरकार
निर्णय दिनांक : 03.03.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम मोडांपट्टी तहसील दौसा स्थित भूमि खसरा नम्बर 126 रकबा 0.76 है० के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम "सोमपाल पुत्र छीतर जाति महावर" के स्थान पर "सोहनलाल पुत्र छीतर मल जाति महावर" अंकित किया जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:39:30 IST
Reason: SelfAttested